रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (DN.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 144] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 1, 1984/वैशाख 11, 1906
No. 144] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 1, 1984/VAISAKHA 11, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 1984

सा. का. नि. 321(अ).—खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग नियमावली, 1957 के नियम-6 के साथ पठित खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा श्री लक्ष्मी रमण आचार्य को 1 मई, 1984 को प्रारम्भ होकर तथा 30 सितम्बर, 1986 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग का सदस्य नियुक्त करती है ।

2. केन्द्र सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (4) की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री लक्ष्मी रमण आचार्य को उक्त अवधि के लिए श्री जी. डी. रिछारिया के स्थान पर उक्त आयोग का उपाध्यक्ष भी नियुक्त करती है ।

[सं. 6(2)/84-के.वी.आई.(1)]
जी. वेंकटरमणन्, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st May, 1984

G.S.R. 321(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 4 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956) read with rule 6 of the Khadi and Village Industries Commission Rules, 1957, the Central Government hereby appoints Shri Laxmi Raman Acharya, as a member of the Khadi and Village Industries Commission, established under sub-section (1) of section 4 of the said Act, for a period commencing on and from 1st May 1984 and ending on the 30th September, 1986.

2. The Central Government, in exercise of powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the said Act also appoints Shri Laxmi Raman Acharya, as Vice-Chairman of the said Commission vice Shri G. D. Richhariya, for the aforesaid period.

[No. 6(2)/84-KVI(I)]

G. VENKATARAMANAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984